

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर-302005

क्रमांक:-एफ.1(1)(00636)स्था./सान्याअवि/24/88638 जयपुर, दिनांक:-15-09-2024

आदेश

प्रशासनिक दृष्टि से निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम मय पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	वि०वि०
1.	श्री अशिन शर्मा, सहायक निदेशक	निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग, राज० जयपुर	राहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, जालौर	रिक्त पद पर
2.	श्री राजेन्द्र सिंह, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	उप निदेशक, सान्याअवि, टोंक	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग, राज० जयपुर	श्री अशिन शर्मा के स्थान पर
3.	श्री मनोज कुमार आर्य, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	उप निदेशक (छात्रवृत्ति) निदेशालय, सान्याअवि, जयपुर	सहायक निदेशक, (भिक्षावृत्ति) सान्याअवि, निदेशालय	रिक्त पद पर
4.	श्री मुकेश कुमार गुर्जर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग, राज० जयपुर	बाबा आमेट दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर	रिक्त पद पर

क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता/योगकाल देय होगा।

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि स्वयं को इसी आदेश से कार्यमुक्त मानकर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।


(जगजीत सिंह मोंगा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(1)(00636)स्था./सान्याअवि/24/88635-90 जयपुर, दिनांक:- 15-02-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
6. जिला कलक्टर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
8. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, आई.टी. मुख्यावास, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. कोषाधिकारी कोष कार्यालय
11. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
12. सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग
13. अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह/नारी निकेतन/शिशु गृह/बालिका गृह/विमन्दित गृह
14. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पंचायत समिति,
15. सम्बन्धित श्री/श्रीमती/सुश्री
16. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती/सुश्री
17. कार्यालय आदेश।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव